न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 36/2020

अनवान

1. श्री आकाश जिन्दल पुत्र नन्दकिशोर जिन्दल नि. ए/147 कुमद विहार– भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. विकास पंचायत औज्याडा पंचायत समिति सुवाणा तह व जिला भीलवाडा जरिये ग्राम विकास अधिकारी/सचिव, विकास पंचायत औज्याडा।
2. श्री मैसर्स अगम डेयरी प्रोडेक्टस प्रा0लि0–ए/147 कुमद विहार भीलवाडा जरिये डायरेक्टर नन्दकिशोर पुत्र राधेश्याम जिन्दल।
3. पूर्वा जिन्दल पुत्री श्री नन्दकिशोर जिन्दल महाजन निवासी ए/147 कुमद विहार–1, भीलवाडा तह. जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 13 की आ.न. 1834 रकबा 0.6323 है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 02 व 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 1, अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा0पत्र में विपक्षी संख्या 1 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 13 की आ.न. 1834 रकबा 0.6323 है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ